न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या 12/64/2017 | प्रवेश तिथि 13-06-2017 | निर्णय दिनांक 16-03-2020

01. प्रभाती देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति रैगर
02. राजेन्द्र पुत्र प्रभूदयाल जाति रैगर
03. राकेश पुत्र प्रभूदयाल जाति रैगर
04. बनवारी पुत्र प्रभूदयाल जाति रैगर निवासीयान ग्राम नरहेठ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—अपीलांट

बनाम

01. तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर।

—रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 18.04.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 180/2017

उपस्थितः—

01—श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 18.04.2017 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम नरहैठ की सरकारी गै0मु0 राड़ा भूमि के आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 08.46 है0 में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नरहैठ की सरकारी गै0मु0 राड़ा भूमि के आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 08.46 है0 में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 06.03.2017 को अपीलांट को अतिकमी मानकर बिना सुने बेदखली व लगान से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 18.04.2017 अपास्त फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट्स द्वारा दिनांक 17.05.2017 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है तथा तहसीलदार थानागाजी द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.05.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट्स का अतिक्रमण हटाना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलांट्स को आरोपित पैनल्टी से मुक्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16-03-2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)